

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29-06-2021 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस-प्रशासन द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देश पर विगत कई वर्षों से ग्राम- कुरहवा थाना खेसरहा पर स्थित तालाब के अवैध कब्जे को हटवाया गया। फरवरी 2021 को ही माननीय न्यायालय द्वारा अवैध कब्जे को खाली कराने हेतु ग्रामवासियों नवीन दूबे उर्फ मोनू दुबे, पुत्र रामराज दुबे, संदीप दूबे पुत्र रामराज दुबे, श्याम नरायन दूबे पुत्र लक्ष्मी नरायन दुबे, गुड्डु दूबे पुत्र हरि नरायण, नजीबुल निशा पत्नी मुन्नवर, राम रतन मिश्र पुत्र केशव मिश्र व अन्य को नोटिस तामीला कराया गया था। उनमें से कई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनका लम्बा आपराधिक इतिहास है-

अभियुक्त नवीन दूबे उर्फ मोनू दुबे का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0- 527/06 धारा 147,148,149,323,504,506,435 भा0द0वि03(1)SC/ST अधिनियम थाना खेसरहा।
- 2- मु0अ0सं0-260/17 धारा 66डी 67 आईटी अधिनियम थाना काघला जनपद शांमली।
- 3- मु0अ0सं0-73/19 धारा 506 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4- मु0अ0सं0-74/19 धारा 420,406,504,506 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5- मु0अ0सं0-75/19 धारा 420,406,504,506 भा0द0वि0 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 6- 6-मु0अ0सं0-222/19 धारा 406,420,323,506 भा0द0वि0 व 138 परकाम्य लिखत अधि0(चालानी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ)।

H.S. No. 53 A अभियुक्त संदीप दूबे पुत्र रामराज दुबे ग्राम कुरहवा थाना खेसरहा का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0- 1507/03 धारा 147,148,149,307,41,411 भा0द0वि0 थाना खेसरहा।
- 2- मु0अ0सं0- 1508/03 धारा 3(1) यू.पी. गैगेस्टर अधिनियम थाना खेसरहा।
- 3- मु0अ0सं0- 15/06 धारा 147,342,323,504, 506 भा0द0वि0 थाना खेसरहा।
- 4- मु0अ0सं0- 1624/03 धारा 3(2) N.S.A थाना खेसरहा।
- 5- मु0अ0सं0- 527/06 धारा 147,148,149,323,504,506,435 भा0द0वि03(1)SC/ST अधिनियम थाना खेसरहा।
- 6- मु0अ0सं0- 537/06 धारा 110 G सीआरपीसी थाना खेसरहा।
- 7- मु0अ0सं0- 86/07 धारा 110 G सीआरपीसी थाना खेसरहा।
- 8- मु0अ0सं0-98/07 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना खेसरहा।
- 9- मु0अ0सं0-139/07 धारा 147,148,149, 504,506,347,387,323 भा0द0वि0 व 3(1)यू.पी. गैगेस्टर अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।
- 10- मु0अ0सं0- 81/08 धारा 110 G सीआरपीसी थाना खेसरहा।
- 11- मु0अ0सं0- 74/19 धारा 420,406,504,506 भा0द0वि0 थाना खेसरहा।
- 12- मु0अ0सं0-75/19 धारा 420,406,504,506 भा0द0वि0 थाना खेसरहा।

सराहनीय कार्य दिनांक 29.06.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दृष्टिगत श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द्र, क्षेत्राधिकारी बांसी, के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बांसी श्री छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 29.06.2021 को थाना बांसी पुलिस द्वारा अभियुक्त मो० इरशाद उर्फ मन्टू पुत्र झिन्नू शाह ग्राम लोहियानगर नरकटहा थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से एक अदद कट्टा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर अवैध रूप से बरामद किया गया व मु०अ०सं० 116/2021 धारा 379 IPC से सम्बन्धित एक अदद मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 155/2021 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

उ०नि० शशांक कुमार सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
उ०नि० शेषनाथ यादव थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
उ०नि० चन्द्रशेखर पाण्डेय थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
हे०का० प्रभाकर राज सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
का० श्यामसुन्दर मौर्य थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 29-06-2021

मु०अ०स० 41/21 धारा 380/411IPC थाना ढेबरुआ में वांछित अभियुक्त शमशाद गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत, श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के दिशा निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चंद चौधरी के नेतृत्व में आज दिनांक 29.05.2021 को उप निरीक्षक श्री विक्रम अजीत राय, चौकी प्रभारी बढनी मय हमराह पुलिस बल के मुखविर की सूचना पर वांछित अभियुक्त शमशाद पुत्र मो० शरीफ निवासी झंडेनागर थाना कृष्णानगर जिला कपिलवस्तु नेपाल को वहद ग्राम कल्लनडिहवा बगीचा से समय करीब 05:30वजे सुबह गिरफ्तार किया गया। जामातलासी से इसके कब्जे से एक देसी तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर ,व 5700₹ नगद चोरी का बरामद हुआ है।अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शमशाद पुत्र मोहम्मद सरीफ साकिन झंडेनागर थाना कृष्णानगर जनपद कपिलवस्तु नेपाल।

बरामदगी का विवरण-

1. मु.अप. सं.41/2021धारा 380/411ipc से संबंधित 5700₹ नगद।
2. एक अदद तमंचा 315 बोर, 3. एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उप निरीक्षक विक्रम अजीत राय, चौकी प्रभारी बढनी थाना ढेबरुआ

02. हे0का0 विजय यादव थाना ढेबरुआ
03. हे0का0 भोला नाथ यादव थाना ढेबरुआ
04. का0 निशांत कुमार थाना ढेबरुआ ।

सराहनीय कार्य दिनांक 29.06.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-29-06-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 अधिनियम के अंतर्गत 1061 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 435 वाहनों का चालान कर ₹ 4,39,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 29-06-2021

श्री अखिल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देश पर दिनांक 03.01.2020 को "बीट व्यवस्था प्रणाली" के प्रभावी क्रियान्वयन एवं "सर्वोत्तम बीट पुलिस अधिकारी" के सम्बन्ध में निर्गत किये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुक्रम मे "बीट व्यवस्था प्रणाली" को अधिक मजबूत बनाने हेतु पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये बेहतर कार्य करने वाले "बीट पुलिस अधिकारी" को थाना एवं जनपद स्तर पर समय-समय पर पुरस्कृत किये जाने के संबंध में जनपद सिद्धार्थनगर से निम्नांकित पुलिसकर्मियों को उनके नाम के सम्मुख दिये गये विवरण के आधार पर उन्हें उत्कृष्ट बीट पुलिसिंग हेतु चयन कर प्रोत्साहित किया गया ।

- 1- थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पर नियुक्त कांस्टेबल धीरज यादव द्वारा गीता पुत्री राजेंद्र निवासी रक्सेल थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा एक्सीडेंटल केस में रक्तदान कर जान बचाया गया ।
- 2- थाना मोहाना पर नियुक्त आरक्षी शत्रुघ्न मद्धेशिया द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0 अ0सं0 119/2021 धारा 41/411,413 भादवि0 से संबंधित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अदद कट्टा व 02 अदद जिंदा कारतूस तथा अवैध चाकू बरामद करने में सराहनीय योगदान किया गया है ।
- 3- थाना गोल्हौरा पर नियुक्त आरक्षी गामा यादव द्वारा सराहनीय योगदान करते हुए दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर 04 मोटरसाइकिल 01 अदद देसी तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद करवाया गया ।
- 4- थाना खेसरहा पर नियुक्त मुख्य आरक्षी अजीत कुमार द्वारा अपने बीट क्षेत्र में भ्रमण शील रहकर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी गई तथा एच0एस0 की निगरानी नियमानुसार की गई व समय-समय पर बीट सूचना अंकित कराया गया है तथा बीट अधिकारी द्वारा अपने बीट क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महति योगदान किया गया है ।

- 5- थाना चिल्हिया पर नियुक्त आरक्षी राममिलन यादव द्वारा मु0अ0सं0 52/2021 धारा 3/25 आर्म्स अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर 01 अदद कड़ा व 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद करने में सराहनीय योगदान रहा ।
- 6- थाना कोतवाली बांसी पर नियुक्त मुख्य आरक्षी उपेंद्र प्रजापति द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कुल 112 शीशी बंटी-बबली शराब बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।
- 7- थाना कपिलवस्तु पर नियुक्त आरक्षी अभिषेक कुमार द्वारा अपराध व तस्करी के रोकथाम में सक्रिय भूमिका रही है इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य में 01 अभियुक्त को 120 शीशी नेपाली शराब के साथ तथा भिन्न-भिन्न प्रकरणों में 03 अभियुक्तों को 01-01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया ।
- 8- थाना शोहरतगढ़ पर नियुक्त आरक्षी सत्येंद्र यादव द्वारा मु0अ0सं0 74/2021 धारा 392 ,411 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी में सराहनीय योगदान किया गया तथा 01 अदद तमंचा 12 बोर व 03 अदद जिंदा कारतूस तथा 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया ।
- 9- थाना लोटन पर नियुक्त मुख्य आरक्षी चंद्रशेखर सिंह द्वारा अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी गई व बीट क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में व्यापक सहयोग किया गया ।
- 10- थाना भवानीगंज पर नियुक्त मुख्य आरक्षी रामशंकर पांडे द्वारा मु0अ0सं0 53/21 की धारा 377 भादवि0 व 3/4 पोस्को अधिनियम से संबंधित अभियुक्त गिरफ्तारी में सहयोग किया गया तथा 12 चलानी रिपोर्ट प्रेषित कर 151, 107/116 के अंतर्गत 85 अराजक व्यक्तियों को पाबंद कराया गया ।
- 11- थाना मिश्रौलिया पर नियुक्त मुख्य आरक्षी देवेन्द्र तिवारी द्वारा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 कुटल लहन नष्ट कराया गया, अवैध तमंचा एक अदद, अपहृता बरामद किया गया तथा 151,107/116 के अंतर्गत 49 व्यक्तियों को पाबंद कराकर सराहनीय योगदान दिया गया ।
- 12- थाना इटवा पर नियुक्त आरक्षी देवेश सिंह द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 5 मुकदमों में 50 लीटर कच्ची शराब बरामद कराया गया तथा शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 4 मुकदमों में चार दद नजायज चाकू बरामद करवाकर लगन व मेहनत से कार्य किया गया है ।
- 13- थाना त्रिलोकपुर पर नियुक्त मुख्य आरक्षी सतीश तिवारी द्वारा ऑपरेशन तमंचा अभियान के अंतर्गत पांच विभिन्न मुकदमों के अंतर्गत पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया जिनके कब्जे से 08 अदद तमंचा, 11 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा व 08 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया तथा 60 आबकारी अधिनियम एवं 4/25 आर्म्स अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगभग 15 मुकदमे थाना स्थानीय पर पंजीकृत कराया गया एवं शान्ति-व्यवस्था के दृष्टिगत 310 व्यक्तियों को चालान किया गया ।
- 14- थाना पथरा बाजार पर नियुक्त आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह द्वारा ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर सराहनीय योगदान दिया गया ।

- 15- थाना जोगिया पर नियुक्त आरक्षी शैलेश शर्मा द्वारा थाना स्थानीय के समस्त सभ्रान्त व्यक्तियों से मधुर व्यवहार रखकर 60 एक्साइज अधिनियम के अंतर्गत एक अभियुक्त तथा एक तमंचा व कारतूस बरामद किया गया ।
- 16- थाना डेबरूआ पर नियुक्त मुख्य आरक्षी महेंद्र प्रताप यादव द्वारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न मुकदमों में 3 अदद कट्टा व 3 अदद जिंदा कारतूस तथा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 190 शीशी नेपाली शराब वह 4/25 बिस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत एक जिंदा देसी बम बरामद करवा कर सराहनीय योगदान दिया गया ।
- 17- थाना उसका बाजार पर नियुक्त मुख्य आरक्षी शंभू यादव द्वारा भिन्न-भिन्न मुकदमों में कुल 400 लीटर कच्ची शराब तथा 47 शीशी देसी शराब बरामद करवा कर सराहनीय योगदान दिया गया ।
- 18- थाना डुमरियागंज पर नियुक्त मुख्य आरक्षी राम सिंह द्वारा गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया वह 3/25 शस्त्र अधिनियम में एक अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद कराया गया तथा शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 107/116 व 151 में 315 लोगों को पाबंद कराकर सराहनीय योगदान दिया गया ।